महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

बदलें कृषि पद्धतियां
बदलें अपना जीवन

प्रस्तावना

भारत में बड़ी संख्या में गरीब कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। इनमें पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: 79% और 67% है। कुल श्रम बल का तकरीबन 85% छोटे और सीमांत किसान हैं जो कृषि कार्यों पर पूर्णत: निर्भर है (एमओए, 2012)। श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% और स्व-रोजगार प्राप्त किसानों की हिस्सेदारी 48% है।

यदि हम पारंपरिक बाजार पर निर्भर रहने वाले 'उत्पादन करने वाले श्रमिकों' की संकीर्ण परिभाषा से ऊपर उठकर इस तथ्य को ध्यान से देखें कि पुरुष और महिलाओं को बराबर मजदूरी मिलने की संभावना अभी भी कम है तो सभी महिलाओं को 'किसान' माना जा सकता है।

कृषि और उससे जुड़े कार्यों में महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, फिर भी कृषि मजदूर और खेती की पैदावार पर उनके हक के रूप में भारतीय कृषि ढांचे में महिला मजदूरों को वह स्थान नहीं मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि पुरुषों और महिलाओं को दी जाने वाली मजदूरी भी एक-समान नहीं है।

कई परिवारों में महिला किसान मुखिया हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें परिवार विस्तार सेवाएं, किसान सहायता संस्थान, बीज, पानी, ऋण, सब्सिडी आदि जैसी उत्पादन परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं।

''महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम (डीएवाई–एनआरएलएम) का ही एक हिस्सा है। इसे कृषि में महिलाओं की मौजूदा स्थिति में सुधार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम (डीएवाई-एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम (डीएवाई–एनआरएलएम) की शुरुआत 2011 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों तक पहुंच बनाना, उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना और जब तक वे गरीबी से उबर न जाएं, उनकी मदद करते रहना है। इसकी शुरुआत देश भर में एक मिशन के रूप में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) तथा उनसे जुड़े संस्थानों के माध्यम से 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में की गई थी। इसमें लगभग 8-10 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों को शामिल किया जाएगा। इन ग्रामीण गरीब परिवारों में से लगभग 7 करोड़ परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इन 7 करोड़ परिवारों में से कृषि पर आधारित 3 करोड़ परिवार बेहद गरीब परिवारों के हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इन बेहद गरीब परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी।

हमारा लक्षित वर्ग

- दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम (डीएवाई–एनआरएलएम) द्वारा लक्षित ग्रामीण गरीब
- परिवार, जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है।
- 30 मिलियन परिवारों में अत्यधिक गरीब और सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों के परिवार शामिल हैं – ये ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना: ध्यान दिए जाने वाले कार्यकलाप और कार्यनीति

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) को वर्ष 2010-11 में दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम (डीएवाई–एनआरएलएम) के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कृषि में सशक्त बनाना है। एमकेएसपी में "महिला" की पहचान किसान के रूप में की गई है तथा इसमें कृषि के पारंपरिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें गरीब परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों तक पहुंच बनाने और महिला किसानों द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों को बढ़ाने की रूपरेखा स्पष्ट की गई है।

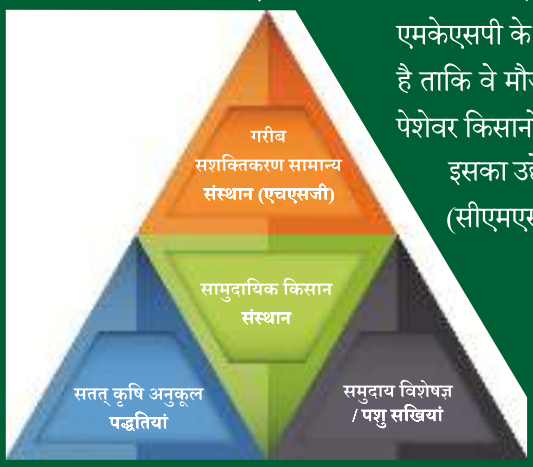

एमकेएसपी सिद्धांत

एमकेएसपी के अंतर्गत छोटे किसानों को सक्षम बनाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वे मौजूदा जलवायु के अनुरूप कृषि कार्य करें, ताकि कुशल और पेशेवर किसानों का एक दल बनाया जा सके।

इसका उद्देश्य लोगों द्वारा लम्बे समय तक व्यवस्थित ढंग से खेती करना (सीएमएसए), कीटनाशकों के प्रयोग के बिना खेती करना (एनपीएम), बिना बजट वाली प्राकृतिक खेती करना (जेडबीएनएफ), पशुओं की घरेलू देखभाल के लिए पशु-सखी मॉडल अपनाना, गैर-इमारती लकड़ी का निरंतर उत्पादन और कटाई करना, वन उत्पाद जैसी स्थायी कृषि तरीकों को प्रात्साहित करके छोटे किसानों को सशक्त बनाना है।

एमकेएसपी के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक दृष्टिकोण

1. कृषि, पशुधन और एनटीएफपी में से आजीविका के कम से कम दो स्रोतों को मजबूत बनाना।
2. सभी घरों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए घर के पिछवाड़े में किचन गार्डन लगाना।
3. आधुनिक तरीकों को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि खर्च कम करना।
4. आजीविका के बहु-आयामी स्रोत अपनाकर गरीब परिवारों को पूरे वर्ष आमदनी उपलब्ध कराना।
5. 3 वर्ष तक निरंतर रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय में 30,000 से 50,000 तक की वृद्धि करना।

एमकेएसपी के अंतर्गत शामिल गांवों के लिए विजन

1. प्रत्येक परिवार के लिए कीटनाशी मुक्त भोजन (अनाज और सब्जियां) उपलब्ध कराना।
2. बेहतर पशुधन तरीके अपनाकर पशुओं की आबादी बढ़ाना।
3. आजीविका कृषक मित्रों और पशु सखियों के माध्यम से प्रत्येक गांव के हर घर में ये सेवाएं उपलब्ध कराना।
4. कृषि, पशुधन और गैर-इमारती वन उत्पादों में तालमेल बनाना, ताकि परिवारों को निरंतर उसका फायदा हो सके।
5. खाद्य, कृषि, उत्पादक सामग्रियों तथा विस्तार सेवाओं में आत्म–निर्भर होने की दिशा में कार्य करना।
6. जैव-विविधता और पर्यावरण में सुधार करना, जहां स्वस्थ मानव, पशु-पक्षी और पौधों का विकास हो सके।

एमकेएसपी की रणनीति द्वारा स्थित में सुधार करना: स्थायी और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाना

एमकेएसपी की रणनीति के अंतर्गत, स्थित में सुधार करने के लिए एक ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है जिससे जलवायु परिवर्तन में सुधार हो तथा पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ठोस तरीके अपनाए जा सकें। सीआरपी इन कार्यक्रमों को साकार करने में अहम भूमिका निभाती है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्य जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाते हैं और साथ ही इससे गरीबों का जोखिम भी कम होता है:

- लोगों द्वारा लम्बे समय तक की जाने वाली खेती (कृषि-पर्यावरण दृष्टिकोण)
- कीड़ों से बचाव करने और मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री का उपयोग।
- जड़ विस्तार प्रणाली – एसआरआई, एससीआई
- बाजरा और अनाज फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अनेक प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- वृक्षों से होने वाले कृषि उत्पादन को अपनाना।
- वन में उगने वाली प्रजातियों को फिर से उपजाना।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादक सामग्रियों का इस्तेमाल करना।
- छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के साथ कृषि के तरीकों को जोड़ना।
- मनरेगा के साथ तालमेल करते हुए किसानों के लिए कृषि उत्पाद पैदा करना।
- गैर-कीटनाशी प्रबंधन।
- प्राकृतिक मृदा उर्वरता प्रबंधन।
- कृषि के साथ पशुओं को जोड़ना।
- पशुओं को जोड़ना – पशु सखी मॉडल को प्रोत्साहित करना।
- किसानों में बेहतरीन पेशेवरों (सीबीपी) के जरिए जलवायु परिवर्तन में सुधार करने के लिए व्यापक कृषि तरीके अपनाना।
- आस-पास वर्षा जल का संग्रह करना।

एमकेएसपी को लागू करने की रणनीति

इस कार्यक्रम को पूरे देश में डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा कार्यान्वयन भागीदार (पीआईए) के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों / समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/ एनजीओ के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इन एजेंसियों द्वारा एमकेएसपी के कार्यों में आजीविका के कुछ तरीकों को बढ़ावा देकर विकसित किए जाने की संभावना है। ऐसी उम्मीद है कि इससे बेहतरीन पेशेवरों में से बेयरफुट सामुदायिक पेशेवरों का एक कैडर बनेगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समुदाय की मदद से इन मॉडलों को और लोगों द्वारा अपनाया जा सकेगा।

एमकेएसपी शेयरहोल्डर

पीआईए – परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी। डीएवाई-एनआरएलएम – दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम। एसआरएलएम – राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। सीआरपी – समुदाय संसाधन व्यक्ति महिला किसान

पीआईए (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी)

एमकेएसपी के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी आबंटन के आधार पर नहीं बल्कि मांग के आधार पर दी जाती है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएमएस) को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं जिन पर एमकेएसपी के अंतर्गत विचार किया जाता है। पीआईए, एमकेएसपी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परियोजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। पीआईए के समूह को उपलब्ध मात्रा और संसाधनों में तालमेल स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। इन प्रस्तावों का राज्य मिशनों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और यदि ये संतोषजनक पाए जाते हैं तो इन्हें डीएवाई-एनआरएलएम को भेजा जाता है। इसके बाद राज्य द्वारा सिफारिश किए गए इन प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है ताकि उन्हें एमकेएसपी में लागू किया जा सके।

वर्तमान में, एमकेएसपी के अंतर्गत भारत के 15 राज्यों में 58 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)

एसआरएलएम, पीआईए द्वारा लागू एमकेएसपी परियोजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वीकृत परियोजना की निगरानी और समय-समय पर समीक्षा के लिए राज्य के सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो राज्य स्तर पर परियोजना या परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होती है। मिशन निदेशक, एसआरएलएम समिति के संयोजक हैं। समिति पीआईए और समूह के सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ तिमाही समीक्षा करती है। राज्य सरकारें परियोजनाओं को लागू करने के लिए पीआईए की सहायता हेतु राज्य स्तर पर तकनीकी परियोजना सहायता समूह का भी गठन कर सकती हैं।

समुदाय विशेषज्ञ (सीआरपी)

सीआरपी कौन हैं?

समुदाय विशेषज्ञ (सीआरपी) विशेषकर –

- किसी गरीब परिवार की कोई **प्रगतिशील महिला किसान** हो सकती है।
- वह **स्व-सहायता समूह की कोई सदस्य** हो सकती है।
- उसने स्थायी कृषि पद्धतियों के **सभी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्राप्त** किया हो और
- अपने खेत पर **सभी बेहतरीन तरीकों को एक पेशेवर के रूप में प्रदर्शित किया हो।**
- वह **यात्रा करने की इच्छुक** हो,
- उसमें **परस्पर बातचीत करने का अच्छा कौशल** हो; और
- वह **साक्षर** हो।

भूमिका और उत्तरदायित्व

सीआरपी

लोगों को बेहतरीन तरीकों के बारे में बताकर स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **कृषि उत्पादन योजना का विकास करने के लिए गरीब परिवारों के साथ मिलकर कार्य करता है।**
- **महिला किसानों के साथ नियमित रूप से किसान कृषि स्कूल चलाता है।**
- **गरीब परिवारों के खेतों में सहायता प्रदान करके और मार्गदर्शन देकर समस्याओं का समाधान करने के लिए नियमित रूप से दौरा** करता है।
- **विभिन्न परिपाटियों को अपनाने की निगरानी करता है तथा जानकारी उपलब्ध कराता** है।
- **क्षेत्र में स्थानीय बेहतरीन तरीकों** / मामला अध्ययनों को दर्ज करता है।
- सामुदाय के संस्थानों को कार्यकलापों में हुई **प्रगति की रिपोर्ट करता है।**

अनिवार्य सिद्धांत

कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो अनिवार्य हैं और इनका परियोजना को लागू करने वाले पीआईए द्वारा समाधान किया जाता है। खेती के खर्च में कमी लाना, घर में पोषण सुरक्षा में सुधार करना, स्थानीय रूप से अपनाई गई उत्कृष्ट पद्धतियों की पहचान करके उन्हें बढ़ावा देना, पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में बाग़ीचा लगाना तथा एनएडीईपी जैसी जैविक उत्पादक सामग्री, बीजामृत्म आदि का एमकेएसपी के अनिवार्य सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करना।

एमकेएसपी परियोजनाओं को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अवश्य पालन करना चाहिए:

- डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के लिए विभिन्न बुनियादी आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी गतिविधियां सामुदायिक संस्थानों के मजबूत आधार पर निर्मित हों।
- यह सुनिश्चित करना कि भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।
- स्थिरता बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट तरीके अपनाने वाले किसानों से समुदाय विशेषज्ञों (सीआरपी) का एक कुशल कैडर बनाना।
- जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए स्थायी पर्यावरण और कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

भौगोलिक क्षेत्र में कवरेज : उपलब्धियां

एमकेएसपी का एक खास पहलू ''गरीबों में सबसे गरीब'' पर ध्यान केन्द्रित करना है। एमकेएसपी मुख्य रूप से भूमिहीन, छोटे और उपेक्षित महिला किसानों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो ग्रामीण समाज के सबसे निचले तबके का 20% हैं। एमकेएसपी देश में विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में स्थायी कृषि पर्यावरण मॉडलों की पहचान करने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है।

अत्यधिक गरीब रणनीति की मुख्य विशेषताएं हैं:

- ''मजदूरी की मांग करने वालों'' को ''शुद्ध खाद्य उत्पादकों'' में परिवर्तित करना।
- गरीब ग्रामीण परिवारों की पारिवारिक आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना।

एसकेएसपी रूपरेखा

एसकेएसपी मुख्यत: स्थायी कृषि और एनटीएफपी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए घरेलू तरीकों को प्रोत्साहित करता है; कृषि और पशु पालन एक-दूसरे से जुड़े हैं। कार्यों में विविधता के कारण यह किसी एक आजीविका से जुड़े रहने के जोखिम को भी कम करता है।

स्थायी कृषि

डीएवाई-एनआरएलएम मौजूदा पशुधन के स्थायी उपयोग द्वारा आजीविका के विकल्पों को बढ़ाता है। यह कृषि पर आश्रित आजीविका में नए अवसरों के इस्तेमाल द्वारा 'अस्थिरता को कम करता है और 'आजीविका बढ़ाता है'। देश में कृषि, ग्रामीण गरीबों की प्रमुख आजीविका में से एक है और यह भारत में ग्रामीण गरीबी के आजीविका स्रोतों का भी एक बड़ा हिस्सा है। अत: गरीब परिवारों की खाद्य और पोषण सुरक्षा का समाधान करने तथा बाहरी तथ्यों के कारण आजीविका को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गई है। सीआरपी द्वारा स्थायी कृषि के अंतर्गत बीज प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, नमी बनाए रखने, रोग और कीट प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है।

एमकेएसपी विशेषकर सबसे गरीब लोगों की आजीविका में छोटे पशुओं और मुर्गी पालन को महत्व देता है। एमकेएसपी के बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र में पशुओं को शामिल करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण जैविक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। यह परस्पर लाभकारी और पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थायी मॉडल है जो महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी प्रदान करता है।

गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी)

वन निरंतर घटते जा रहे हैं और आदिवासी गरीब परिवारों की संख्या में कोई कमी न होने के कारण गरीब लोगों, विशेषकर वनों में आदिवासी महिलाओं के लिए एनटीएफपी उत्पादों को एकत्र करके अपनी आजीविका चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

एनटीएफपी में उत्पादों के संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए एमकेएसपी द्वारा संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एनटीएफपी का संग्रह करने वालों की आय को बढ़ाना, लगातार फसलें उगाकर और वैज्ञानिक पद्धति से कटाई करके अधिक मुनाफा कमाना; फसलों को बाजार में बेचने के लिए बेहतर ढंग से सौदेबाजी करना तथा अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाने के लिए कार्यकलाप शुरू करना है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए लक्षित कुल महिला किसान **32 लाख हैं।**

पशुधन

जीडीपी की तुलना में कृषि के समग्र अंशदान में पशुधन कार्यकलापों की हिस्सेदारी लगभग 26% है। पशु देखभाल सर्विस का विस्तार करने और सेवा उपलब्ध कराने में काफी बड़ा अंतर है जिसे छोटे और उपेक्षित परिवारों के लिए कम किए जाने की आवश्यकता है।

एमकेएसपी पशुओं की बेहतर देखभाल करने वाले समूह में से समुदाय पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या पशु सखियों को एकजुट करके निवेश को बढ़ावा देता है ताकि घर में ही सेवा उपलब्ध कराकर बेहतर पशु-पालन और प्रबंधन हो सके।

भौगोलिक क्षेत्र में कवरेज : उपलब्धियां

- समुदाय द्वारा लम्बे समय तक खेती करना (सीएसएसए), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना – स्थायी कृषि मॉडलों को बढ़ाना, समुदाय में पेशेवर कैडर बनाना।
- भूमिहीन महिला परिवारों के लिए ½ एकड़ का मॉडल। विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत 18 लाख से अधिक गरीब महिला किसानों को शामिल किया गया है।
- कुदुम्बश्री, केरल – विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना। विभिन्न स्थायी आजीविका कार्यकलापों के लिए ''संयुक्त देनदारी समूहों'' के अंतर्गत राज्य में 1 लाख से अधिक महिला किसानों को शामिल किया गया है।

- जीविका, बिहार – बिना बजट के प्राकृतिक कृषि तरीके अपनाना। 1 लाख से अधिक छोटे और उपेक्षित किसानों ने अलग-अलग क्षेत्रों में स्थायी कृषि तरीकों को अपनाया है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना है।
- लोक कल्याण परिषद (एलकेपी), पश्चिम बंगाल – समुदाय द्वारा सामूहिक आजीविका गतिविधियों की योजना बनाना – 3000 से अधिक स्व–सहायता समूहों में गरीब महिलाओं में से 60,000 सबसे गरीब महिलाओं ने पीआरआई के सहयोग से व्यापक आजीविका योजना प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- सामाजिक विकास कार्यक्रम (एएसए), बिहार और मध्य प्रदेश - अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल। मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी आदि जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल करने से 15,000 से अधिक गरीब परिवारों को लाभ हुआ है।
- केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) – पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश – आदिवासी क्षेत्रों में एनटीएफपी उत्कृष्ट पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। 15000 से अधिक गरीब आदिवासी महिला परिवारों की आय को प्रति परिवार 15,000 रुपए/वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किया गया है।
- पीआरएडीएएन, मध्य प्रदेश – आदिवासी इलाकों में स्थायी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
- इसमे 5000 से अधिक आदिवासी परिवारों को शामिल किया गया है ताकि बड़े पैमाने पर पलायन को कम किया जा सके तथा आदिवासी आबादी के लिए कृषि में व्यावहारिक रूप से सुधार हो।
- सीएमएफ, राजस्थान – पशु सखी मॉडल: सामुदायिक पशु चिकित्सा परा-व्यावसायिक कैडर।
- ग्रीन फाउंडेशन, कर्नाटक – बीजों की स्थानीय स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देना। धान और रागी की 100 से अधिक स्थानीय किस्मों को सामुदायिक बीज बैंकों के जरिए प्रतिवर्ष सुरक्षित रखा गया और वितरित किया गया, जिसमें 5000 महिला किसानों को सहायता दी गई।
- **जत्तू, आंध्र प्रदेश – अन्नपूर्णा मॉडल। आदिवासी क्षेत्रों के लिए संशोधित ½ एकड़ का मॉडल।**

एमकेएसपी : मुख्य निष्कर्ष

दीनदयाल अंत्योदय योजना–एनआरएलएम (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत प्रमुख आजीविका पहल शुरू करने के लिए एमकेएसपी एक ठोस मंच के रूप में उभरा है।

- एमकेएसपी ने देश भर में और विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कई अनुकरणीय मॉडल / उत्कृष्ट पद्धतियों को बुनियादी स्तर पर लागू किया है – कृषि / एनटीएफपी / पशुधन।
- अनुकरणीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों – सामुदायिक पेशेवरों, कार्यक्रम व्यावसायिकों, शिक्षा-शास्त्रियों का एक व्यापक पूल बनाया गया है।
- **संसाधन संगठनों के रूप में सीएसओ / सीबीओ काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं।**

एमकेएसपी के अस्तित्व में आने के बाद से, 822 करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय से 119 जिलों, 1,067 ब्लॉकों और 20,362 से अधिक गांवों को कवर किया गया है, और 33.35 लाख से अधिक महिला किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है।

भावी मार्ग

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) में गरीबों के लिए निम्नलिखित निर्णयों की परिकल्पना की गई है:

प्रत्येक सबसे गरीब परिवार में

2 व्यावहारिक आजीविका होनी चाहिए

एमकेएसपी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र, स्थानीय उत्कृष्ट पद्धति स्थलों के रूप में उभरेंगे – गरीब के कल्याण हेतु आजीविका समाधान के विकास के रूप में एक विशिष्ट केन्द्र।

सीआरपी (समुदाय संसाधन व्यक्तियों) अन्य क्षेत्रों में कार्यकलापों को शीघ्र विस्तार करने के लिए समर्थन करेंगे।

अंतत: सभी महिला किसान, किसान वैज्ञानिक और सामुदायिक ज्ञान प्रसारक बनेंगे।

सत्यमेव जयते

UNDP

Empowered lives.
Resilient nations.

आजीविका AAJEEVIKA

दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम

(डीएवाई-एनआरएलएम)

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

दूसरा तल, 5बी, इंडिया हैबिटेट केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003, दूरभाष: 011 – 24122947

वेब पता: http://aajeevika.gov.in/

सारे आँकड़े अक्टूबर 2015 के अनुसार